राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन प्लाट नं. 2
सैक्टर 17,पंचकूला

क्रमांक : एस.ई.सी./1 एम.ई/2017/ 1199-1220 दिनांक: 12.06.2017

सेवा में

सभी उपायुक्त,
हरियाणा ।

विषय:- अधिसूचना सं4/4/2017 -आर -II दिनांक 14.3.2017 और सं4/4/2017 -आर -II दिनांक 22.05.2017- हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 तथा हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 में संशोधन बारे ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब तक अपनाई हुई प्रक्रिया अनुसार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की निर्वाचक मतदाता सूची, भारत चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर तैयार की जाती हैं । इस प्रकार से तैयार की गई नगरनिकाय संस्थाओं की प्रारूप मतदाता सूची को दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किया जाता था। दावें और आपत्तियां दायर करते समय उन नये मतदाताओं के दावों को भी नगरनिकायों की मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतू प्राप्त किया जाता था, जिनके नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होते थे, और जांच उपरांत ऐसे नामों को भी नगरनिकाय की मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता था।

2. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं4/4/2017 -आर -II दिनांक 14.3.2017 और सं4/4/2017 -आर -II दिनांक 22.05.2017 (प्रतिया संलग्न) अनुसार नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 तथा हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 में संशोधन उपरांत नगर निकायों की मतदाता सूची में नए नाम शामिल करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यानि अब नगर निकाय पूर्व की भांति अपनी अलग मतदाता सूचित तैयार नहीं करेंगे ।

3. आपके यह भी ध्यान में लाया जाता है कि नियमों में उपरोक्त संशोधन के उपरान्त अब केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नामों को वार्ड अनुसार विभाजित किया जाएगा । किसी भी व्यक्ति का नाम नगर निकायों की मतदाता सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज न हो गया हो ।

4. नियमों में उपरोक्त संशोधन उपरान्त फार्म–क में वही व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, जिसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल है और किसी कारण से नगर निकाय की मतदाता सूची में शामिल होने से रह गया है । इसके अतिरिक्त फार्म–ख में उसी नाम के विरूद्ध आपत्ति दर्ज की जा सकती है यदि किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल है और उसका निवास स्थान नगर निकाय की सीमा से बाहर है अथवा उक्त व्यक्ति का नाम किसी कारण गलत वार्ड में शामिल हो गया है ।

5. अतः मुझे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप स्वयं एंव अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 तथा हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 में किये गए संशोधनों से अच्छी तरह से परिचित हो लेवें, ताकि भविष्य में इन संशोधित नियमों की सख्ती से पालना की जा सके।

भवदीय,

(परमाल सिंह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

पृ0क्रमांक : एस.ई.सी./1 एम.ई/2017/1221-1225 दिनांकः 12.06.2017

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को अधिसूचना सं. 4/4/2017 –आर –II दिनांक 14.3.2017 और सं. 4/4/2017 –आर –II दिनांक 22.05.2017 के सदर्भ में सूचनार्थ एवं अगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. प्रधानसचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
3. सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला।
4. महानिदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क तथा सांस्कृतिक विभाग, हरियाणा

(परमाल सिंह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

आंतरिक वितरणः
1. स्टोर –कीपर
2. लाईब्रेरियन (रिकार्ड हेतू दो प्रतियां)

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 46-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 14, 2017 (PHALGUNA 23, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2017

संख्या 4/4/2017–आर–II .– हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"3. **पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति–** उपायुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी को वार्ड से सम्बन्धित मतदाता सूची के दावे और आपत्तियां सुनने के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा तथा वार्ड या वार्डों जिनके लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी रहेगा, विनिर्दिष्ट कर सकता है।"।

3. उक्त नियमों में, नियम–4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"4. **वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करना :–** (1) उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम (43) के उपबन्धों के अधीन विधानसभा क्षेत्र या उसके भाग के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल निर्वाचक, जो **नगर निमम** के किसी वार्ड के अधीन पड़ते है, किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओं को विभाजित करेगा।

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) के अनुसार वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूची हिसाब में ली जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को इस प्रकार वार्ड वार वितरित की गई मतदाता सूची निगम के उस वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करे, तैयार की जाएगी।

(3) ज्योंही नगर निगम की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो उपायुक्त, तिथि जिस समय तक वार्ड वार मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां या दावे उसमें विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं, को सूचित करते हुए नोटिस सहित प्रारूप के रूप में प्रकाशित करवाएगा। नोटिस सहित निगम के

प्रत्येक वार्ड की वार्ड वार मतदाता सूची की प्रति उपायुक्त के कार्यालय में, नगर निगम के कार्यालय तथा ऐसे अन्य सहज–दृश्य स्थान (स्थानों) पर चिपकाएगा, जैसा उपायुक्त अवधारित करे:

परन्तु, दावें या आपत्तियां दायर करने के लिए कम से कम पांच दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी।

(4) (i) निर्वाचकों को वार्ड वार विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आपत्ति विहित प्ररूप क तथा ख में पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी या उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है :

परन्तु प्ररूप क में दावे उन आवदकों द्वारा दायर किये जाएंगे जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने, अपनी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हो। प्ररूप ख में आपत्तियां उन आवेदकों द्वारा दायर की जाएगी, जो मतदाता सूची में सम्मिलित नामों के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हों :

परन्तु यह और कि केवल वे ही व्यक्ति नगर निगम की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिये अपना दावा दायर करेंगे, जिनके नाम विधानसभा की सम्बन्धित मतदाता सूची में हैं, किन्तु इस नियम के उप–नियम 3 के अधीन प्रकाशित मतदाताओं की प्रारूप सूची में नहीं है।

(ii) पुनरीक्षण प्राधिकारी प्ररूप–1क में दावों का रजिस्टर तथा प्ररूप–1ख में आपत्तियों का रजिस्टर बनाएगा और जब कभी प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज करेगा।

(iii) कोई दावा या आपत्ति जो खण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iv) यदि कोई दावा या आपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है, जो उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा पुनरीक्षण प्राधिकारी तुरन्त उसी समय सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को वापिस लौटाएगा।

(v) जहां किसी दावा या आपत्ति का निपटान खण्ड (iii) या (iv) के अधीन नहीं किया जाता है तथा दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की विहित अवधि समाप्त हो गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी प्राप्त हुये सभी दावों और आपत्तियों की सूची तुरन्त अपने कार्यालय में चस्पा करेगा तथा ऐसे दावों और आपत्तियां की सुनवाई की तिथि तथा स्थान का उल्लेख नोटिस में करेगा। आपत्ति की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी, जिसने यह दिये हैं।

(vi) यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी को इस निमित्त दिये गये आवेदन पत्र पर या स्व–प्रेरणा पर, वह सन्तुष्ट हो जाता है की प्रारूप मतदाता सूची विधानसभा मतदाता सूची के सम्बन्धित भाग से भिन्न हैं, तो उक्त मतदाता सूची के समरूप उसे संशोधित करने के प्रयोजन के लिये उस मतदाता सूची में संशोधन कर सकता है, कोई प्रविष्टि लोप कर सकता है या जोड़ सकता है।

(vii) खण्ड (v) के अधीन नियत तिथि और जगह पर पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे या आपत्तियां सुनेगा और सम्बन्धित पक्षों या उसके प्राधिकृत एजेंटों को सुनने के बाद उनकी गुणता के अनुसार दावों और आपत्तियों का निर्णयं करेगा तथा कोई व्यक्ति दावे की दशा में, जो ऐसे दावे को स्वीकार करने के लिए ऐतराज करता है और ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या उसको आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद और प्रस्तुत किए गए सबूत को ध्यान में रख कर और यदि जरूरी समझे, तो:–

(क) कोई दावा या आपत्ति, जो इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का पालन नहीं करती, अस्वीकार कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे;

(ख) कोई मामला जिसमें दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, खारिज कर सकता है।

(viii) पुनरीक्षण प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति हो, आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर उपायुक्त को अपील दायर कर सकता है, जो तीन दिन के भीतर या तो ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या अपास्त करेगा या दावे या आपत्ति के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(ix) पुनरीक्षण प्राधिकारी ज्यों ही उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये सभी दावे तथा आपत्तियों का निपटान करता है, तो वह उन पर किये गये आदेशों सहित, ऐसे दावों और आपत्तियों की सूची, उपायुक्त को भेजेगा, जो खण्ड (viii) के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची ठीक करवाऐगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतियां पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जांयेगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सहित

उप–नियम (3) के अधीन विहित रीति में प्रकाशित की जायेगी। खण्ड (ix) के अधीन परिवर्धित तथा प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची ऐसे अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 5 से 11 का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 12 में ;–

(i) उप नियम (3) में, ''नियम 4 से 11 तक'' शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, ''नियम 4'' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप नियम (4) में, ''नियम 7 से 11 तक'' शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, ''नियम 4'' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और ;

(iii) उप नियम (5) में, ''नियम (7)'' और ''नियम 11'' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठक के स्थान पर, क्रमशः ''नियम 4(3)'' और ''नियम 4 (4) (ix)'' शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 13 का लोप कर दिया जाएगा ।

7. उक्त नियमों में, नियम–14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''14 **अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नामों का शामिल, विलोपन और सुधार.**– कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने/विलोपन/**संशोधन** हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है:

परन्तु, नगर निगम के मतदाताओं की वार्ड वार सूची में किसी नाम को जोड़ने/विलोपन या **संशोधन तभी** किया जाएगा यदि दावेदार/आवेदक का नाम नगर निगम के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधानसभा की निर्वाचक सूची के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।''।

8. उक्त नियमों में, नियम 15 तथा 16 का लोप कर दिया जाएगा।

9. उक्त नियमों में, नियम 17 में, उप–नियम (1) मे,–

(i) खण्ड (ग) में, ''नियम 9'' शब्द तथा अंक के स्थान पर, ''नियम 4(4)(i)'' शब्द, अंक तथा कोष्ठक से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) खण्ड (घ) में, ''नियम–10'' शब्द, अंक तथा चिह्न के स्थान पर, ''नियम 4 (4) (vii) तथा (viii)'' शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) खण्ड (छ) का लोप कर दिया जाएगा।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप क और ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"प्ररूप–क

[देखिए नियम 4 (4) (i)]

मतदाता सूची में नाम शामिल करने/ किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वार्डों में नाम रखने के लिए आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगर निगम ....वार्ड संख्या....................

या

उपायुक्त.......................................,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगर निगम के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि की जाए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए ।

मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

1. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ....के क्रम संख्या....................भाग नं0.......................... में उल्लेख किया गया है, लेकिन नगर निगम की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है जो अब वार्ड नं0.......... में शामिल किया जा सकता है।

2. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र..के क्रम संख्या .... भाग नं0 .... में शामिल किया गया है और मेरा नाम नगर निगम की मतदाता सूची के वार्ड संख्या .... में शामिल किया जाये।

3. कि मतदाता सूची में प्रविष्टि .... इस तरह सही किया जाए .... इस आधार पर कि .... ।

4. कि मेरा नाम वार्ड नं0 .... की बजाय वार्ड नं0 .... में प्रविष्टि किया जाये।

5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे ....परन्तु नगर निगम की मतदाता सूची में ....के रूप में यथा वर्णित है और इसे ....के रूप में सही करने के लिए अनुरोध है।

6. घोषणाः

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थानः

दिनांकः

दांवेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन का पूरा पता ....

....

....

मोबाईल नं0 ....

टिप्पण.– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 की धारा (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(नगर निगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी.................................. के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/*नामंजूर कर दिया गया है।

* स्वीकार करने या नामंजूर करने {हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए **विस्तृत कारणः**

....

....

....

स्थानः तारीखः	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी; पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप क मे श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पता..
....से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या ....में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय ....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनाकः–

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना

(प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी ...., जो नगर निगम ....का निवासी है, से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान...में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक ....को .... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते है।

दिनाकः–

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन
प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता ....
....
....)

प्ररूप–ख

{देखिए नियम 4 (4)(i)}

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगर निगम ....वार्ड संख्या..............

या

उपायुक्त....................................,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं उपर्युक्त नगर निगम के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :

मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:

आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

1. कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... का नाम नगर निगम की मतदाता सूची के वार्ड नं0 .... की क्रम संख्या..पर अंकित है, लेकिन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नगर निगम की हद में नही है।

2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... का नाम वार्ड नं0 .... की जगह वार्ड नं0 ....में शामिल किया जाए।

3. **घोषणाः**

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर **उल्लिखित** तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थानः

दिनांकः

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन का पूरा पता ....

....

....

मोबाईल नं0..

टिप्पण.– कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर निगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप ख में मतदाता सूची में श्री/श्रीमती/कुमारी.. के नाम को *सम्मिलित किए जाने पर/*हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है /*नामंजूर कर दिया गया है ।

स्वीकार करने या नामंजूर करने {हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (1994 का 16) के नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए विस्तृत कारण :

....

....

....

स्थानः तारीखः	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

प्ररूप ख मे श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पता...से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या .... में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय ....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनाकः— दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना
(प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी ...., जो नगर निगम ....का निवासी है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान...में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक ....को .... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते है।

दिनाकः—

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता ....
....

....)

11. उक्त नियमों में, प्ररूप 1क तथा 1ख में, "[देखिए नियम 9 (5)]" कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "[देखिए नियम 4 (4)(ii)]" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, प्ररूप–ग तथा घ का लोप कर दिया जाएगा।

आनन्द एम. शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th March, 2017

No. 4/4/2017-R-II .— In exercise of the powers conferred by Sub-section(1) of Section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), for the existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3. Appointment of Revising Authorities. -** The Deputy Commissioner shall appoint any Gazetted Officer to be a Revising Authority for the purpose of hearing claims and objections relating to ward wise electoral roll and may specify the ward or wards for which he shall be the Revising Authority."

3. In the said rules, for existing rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"**4. Preparation of ward wise roll.-** (1) The Deputy Commissioner under the superintendence, direction and control of the State Election Commission, shall cause to distribute the electors of Legislative Assembly constituency or a part thereof of the existing electoral roll prepared by Election Commission of India under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force, which falls in the relevant ward of the Corporation, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name by the Election Commission of India.

(2) The electoral roll updated by the Election Commission of India up to the date of notification issued by the State Election Commission for the preparation of ward wise roll as per sub rule (1) above, shall be taken into account. The electors of Legislative Assembly constituency, so distributed ward wise shall be the electoral roll for that ward of the Corporation which shall be prepared in Hindi and in such other language or languages and in such form, as the State Election Commission may direct.

(3) As soon as the ward wise roll of a Municipal Corporation is ready, the Deputy Commissioner shall publish it as draft together with a notice intimating the date by which objections or claims with regard to the ward wise roll may be presented to the Revising Authority specified therein. A copy of the ward wise roll of each ward of Corporation alongwith the notice shall be pasted at the office of the Deputy Commissioner, at the office of the Municipal Corporation and at such other conspicuous place(s) as the Deputy Commissioner may determine:

Provided that a period of not less than five days shall be allowed for filing claims and objections.

(4) (i) Every claim and objection regarding distribution of electors ward wise shall be addressed and presented to the Revising Authority in the prescribed Form A and B or may be sent by registered post to him.

Provided that claims in Form-A shall be filed by those applicants, who intend to include their name, make correction in their entry or transposing of their name in another ward in the electoral roll. Objections in Form-B may be filed by those applicants who intend to object inclusion of name or seek deletion of a name from the electoral roll.

Provided further that only those persons shall file their claim for inclusion of their name in the electoral roll of Municipal Corporation, whose name appear in the respective electoral roll of legislative assembly, but do not appear in the draft electoral rolls published under sub-rule (3) of this rule.

(ii) The Revising Authority shall maintain a register of claims in Form I-A and register of objections in Form I-B, entering therein the particulars of every claim or objection, as the case may be, as and when it is received.

(iii) Any claim or objection under clause (i) which is not lodged within the prescribed period, or in the form, or, if lodged, by a person not entitled to lodge the same, shall be rejected.

(iv) If any claim or objection is presented by a person to the Revising Authority which is not authorized to receive it, such Revising Authority shall at once return it to the person presenting it for presentation to the appropriate Revising Authority.

(v) Where a claim or objection is not disposed of under clause (iii) or (iv) and the period prescribed for the presentation of claims and objections has expired, the Revising Authority shall forthwith post at his office a list of all claims and objections received together with notice showing the date on which and the place at which such claims and objections shall be heard. One copy of the objection shall be served upon the person regarding whom it is made.

(vi) If on an application made to the Revising Authority in this behalf or on his own motion, he is satisfied that the draft electoral roll is at variance with the relevant part of the electoral roll of the Assembly on account of any mistake in the draft rolls, he shall amend the list so as to bring it in conformity with the said electoral roll and for that purpose he may amend, delete or add an entry in that roll.

(vii) On the date and at the place fixed under clause (v), the Revising Authority shall hear and decide the claims and objections according to their merits after hearing the parties concerned or their authorized agents and, in the case of a claim any person who objects to the admission of such a claim and after considering such evidence as may be produced or may appear necessary to him, he shall-

(a) reject any claim or objection which does not comply with any of the provisions of these rules or pass such orders as he may deem fit;

(b) dismiss any case in which the claimant or objector is not present or is not represented.

(viii) Any person aggrieved by any such order of the Revising Authority, may file appeal within three days from the date of order to the Deputy Commissioner, who shall within three days either confirm such order, or set it aside or pass such other order with respect to the claim or objection as he may deem fit.

(ix) As soon as the Revising Authority has disposed of all the claims and objections presented before him, he shall forward a list of such claims and objections alongwith his orders thereon to the Deputy Commissioner who shall cause the ward wise roll to be corrected, in accordance with the orders passed by the Revising Authority or by him in appeal under clause (viii), as the case may be. The rolls so amended shall be final and two copies thereof duly signed by the Deputy Commissioner and Revising Authority shall be kept in their offices and shall be published in the manner prescribed under sub rule (3) together with list of additions and corrections prepared in accordance with the said orders. Any ward wise roll corrected and published under the provisions of clause (ix) shall come into force from the date of such publication.".

4. In the said rules, rules 5 to 11 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 12,-

(i) in sub rule (3), for the word and figure "rules 4 to 11", the word, figure and sign "rule 4" shall be substituted;

(ii) in sub rule (4), for the word and figure "rules 7 to 11", the word, figure and sign "rule 4" shall be substituted; and

(iii) in sub rule (5), for the words and figure "rule 7" and " rule 11", the word, figure and bracket "rule 4 (3)" and "4 (4) (ix)" shall be substituted.

6. In the said rules, the rule 13 shall be omitted.

7. In the said rules, for existing rule 14, the following rule shall be substituted namely:-

"14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise electoral roll finally published.- Any person whose name is not included in the ward wise electoral roll finally published may apply to the Deputy Commissioner for addition/deletion/correction of his name in the ward wise electoral roll:

Provided that the addition/deletion or correction of any name in the ward wise electoral roll of a Municipal Corporation shall only be made, if the name of claimant/applicant exists in the relevant part of

assembly electoral roll till the first day of filing nomination papers for the elections of Municipal Corporation.".

8. In the said rules, rule 15 and 16 shall be omitted.

9. In the said rules, in rule 17, in sub-rule(1),-

(i) in clause (c), for the word and figure "rule 9", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (i)" shall be substituted;

(ii) in clause (d), for the word and figure "rule 10" the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (vii) and (viii)" shall be substituted; and

(iii) clause (g) shall be omitted.

10. In the said rules, for the existing Forms A and B, the following forms shall be substituted, namely:-

"Form-A

[See rule 4 (4) (i)]

Application for inclusion of name, correction of any entry or transposing of name in another ward in the electoral roll

To

The Revising Authority,

Municipal Corporation ___________Ward No.______

Or

Deputy Commissioner___________,

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.

I request that my name be included, corrected or transposed in the electoral roll for the above Municipal Corporation. My particulars in support of my claim for Inclusion, correction or transposing in the electoral rolls are given below:

Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's Mother's Name Husband's	Name	Surname (if any)

1. That my name is mentioned at Sr. No.________, Part No.____ of______________________Legislative Assembly Constituency but has not been included in the electoral rolls of Municipal Corporation which may now be included in the ward No. __________________ .

2. That my name has been included at Sr. No.______Part No.______of _______________ Legislative Assembly Constituency and include my name in the electoral roll of Ward No.____________of Municipal Corporation.

3. That the entry in electoral roll_________________________be corrected as___________ ______________ on the ground that ___________________________ .

4. That my name be entered in ward No.__________ instead of Ward No. ___________ .

5. Entry of my particular in the electoral roll of Legislative Assembly Constituency are mentioned as _________________________but in the electoral roll of Municipal Corporation have been mentioned as___________________________ and request to correct as________________________.

6. **Declaration**

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date :

Signature or thumb impression of the claimant

Complete Address of the applicant___________

____

____

Mobile No. ______________________

Note.— Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken
(To be filled by Revising Authority of Municipal Corporation or the Deputy Commissioner as the case may be)

The application of Shri/Smt/Km.______________________________ for inclusion of name/correction of any entry or transposing of any name in another ward in the electoral roll in Form-A has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 4 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994

____

____

____

Place: **Date:**	**Signature of Revising Authority**	**(Seal of the Revising Authority)**

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer

Received an application in Form A from Sh./Smt./Kumari ______________________________

Address ____

______________________ and entered at Sr. No. ________ of the entry register.

Date and time fixed for hearing____

Sign and Designation

(Receipt for office use)

Obtained the information about the date and time fixed for the hearing of claim/objection.

Dated: Signature and thumb impression of the applicant

Receipt of application and information about the date of hearing
(for applicant)

An application has been received in Form A from Sh./Smt./Kumari________________________ who is resident of Municipal Corporation ______________________________________

The hearing in the applicant will be done by the Revising Authority at his office situated at______________ on ______________ at __________. He/She is directed to appear for hearing alongwith necessary documents/ information.

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the Revising Authority

Date:_______________

(Address____)

Form-B

[See rule 4 (4) (i)]

Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in electoral roll

To

The Revising Authority

Municipal Corporation ____________Ward No._____

Or

Deputy Commissioner___________,

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.

Sir,

I object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the electoral roll for the above Municipal Corporation. Particulars in support of my objection are given below:

I submit that the entry relating to my self/the person named below is required to be delete for the reasons stated hereunder:

Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's / Mother's Name/ Husband's	Name	Surname (if any)

1. That the name of Sh./Smt/Miss__________is mentioned at Sr. No._____of Ward No._____in the electoral rolls of Municipal Corporation, but the area in which the said person is residing does not fall in the limit of the Municipal Corporation.
2. That the name of Sh./Smt/Miss ___________ is included in Ward No._____ instead of Ward No.___
3. **Declaration**

   I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date :

Signature or thumb impression of the claimant

Complete Address of the applicant ____________________

____

____

Mobile No. ______________________________________

Note.— Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

* Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken

(To be filled by Revising Authority of Municipal Corporation)

The application of Shri/Smt/Km.________________________ objecting to inclusion/ seeking deletion of name of Shri/Smt./Km________________________ in the electoral roll in Form-B has been accepted/rejected.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 4 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994

____

____

____

Place: **Date:**	**Signature of Revising Authority**	**(Seal of the Revising Authority)**

During continuous updating after final publication of electoral roll.

* Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer

Received an application in Form B from Sh./Smt./Kumari________________________________

Address ____

and entered at Sr. No. ______________________of the entry register.

Date and time fixed for hearing____

Sign and Designation

(Receipt for office use)

Obtained the information about the date and time fixed for the hearing of claim/objection.

Dated: Signature and thumb impression of the applicant

Receipt of application and information about the date of hearing
(for applicant)

An application has been received in Form B from Sh./Smt./Kumari______________________ who is resident of Municipal Corporation __________________________________

The hearing in the applicant will be done by the Revising Authority at his office situated at______________________ on ______________at _________. He/She is directed to appear for hearing alongwith necessary documents/information.

Date:_______________

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the Revising Authority
(Address__________________________________)

11. In the said rules, in Form "1-A and 1-B", for the words, figure and signs "[see rule 9 (5)], the words, figure and signs "[see rule 4(4)(ii)]" shall be substituted.

12. In the said rules, the Form "C & D" shall be omitted.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

55140—C.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 87-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MAY 22, 2017 (VAISAKHA 31, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मई, 2017

संख्या 4/2/2017–आर–II.– हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप धारा (1) के खण्ड (घ) से (ङ) तथा धारा 276 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 4/2/2017–आर–I, दिनांक 14.03.2017 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"3. पुनरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति– उपायुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी को वार्ड से सम्बन्धित मतदाता सूची के दावे और आपत्तियां सुनने के प्रयोजन के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा तथा वार्ड या वार्डों जिनके लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी रहेगा, विनिर्दिष्ट कर सकता है।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"4. वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करना :– (1) उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबन्धों के अधीन विधानसभा क्षेत्र या उसके भाग के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल निर्वाचक, जो नगर परिषद/नगर पालिका के किसी वार्ड के अधीन पड़ते है, किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओं को विभाजित करेगा।

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की तिथि तक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूची हिसाब में ली जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को इस प्रकार वार्ड वार विभाजित की गई मतदाता सूची नगर परिषद/नगर पालिका के उस वार्ड के लिए मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश करे, तैयार की जाएगी।

(3) ज्योंही नगर परिषद/नगर पालिका की वार्ड वार मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो उपायुक्त, तिथि जिस समय तक वार्ड वार मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां या दावे विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत

किए जा सकते हैं, को सूचित करते हुए नोटिस सहित प्रारूप के रूप में प्रकाशित करवाएगा। नोटिस सहित नगर परिषद/नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड की वार्ड वार मतदाता सूचि की प्रति उपायुक्त के कार्यालय में, नगर परिषद/नगर पालिका के कार्यालय तथा ऐसे अन्य सहज–दृश्य स्थान (स्थानों) पर चिपकाएगा, जैसा उपायुक्त अवधारित करे:

परन्तु दावें या आपत्तियां दायर करने के लिए कम से कम पांच दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी।

(4) (i) निर्वाचकों को वार्ड वार विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आपत्ति निहित प्ररूप क तथा ख में पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत की जाएगी या उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है:

परन्तु प्ररूप क में दावे उन आवदको द्वारा दायर किये जाएंगे जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने, अपनी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हों। प्ररूप ख में आपत्तियां उन आवेदकों द्वारा दायर की जाएगी, जो मतदाता सूची में सम्मिलित नामों के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हो:

परन्तु यह और कि केवल वे ही व्यक्ति नगर परिषद/नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिये अपना दावा दायर करेंगे, जिनके नाम विधानसभा की सम्बन्धित मतदाता सूची में हैं, किन्तु इस नियम के उप नियम 3 के अधीन प्रकाशित मतदाताओं की प्रारूप सूची में नहीं है।

(ii) पुनरीक्षण प्राधिकारी प्ररूप–1क में दावों का रजिस्टर तथा प्ररूप–1ख में आपत्तियों का रजिस्टर बनाएगा और जब कभी प्राप्त होने पर प्रत्येक दावा तथा आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, के ब्यौरे उसमें दर्ज करेगा।

(iii) कोई दावा या आपत्ति जो खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या प्ररूप में दायर नहीं किया जाता है या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है जो उसे दायर करने का हकदार नहीं है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(iv) यदि कोई दावा या आपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है, जो उसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, तो ऐसा पुनरीक्षण प्राधिकारी तुरन्त उसी समय सम्बन्धित पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए उसी व्यक्ति को वापिस लौटाएगा।

(v) जहां किसी दावा या आपत्ति का निपटान खण्ड (iii) या (iv) के अधीन नहीं किया जाता है तथा दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की विहित अवधि समाप्त हो गई है, तो पुनरीक्षण प्राधिकारी, तिथि जिसके तथा स्थान जिस पर ऐसे दावे तथा आपत्तियों सुनी जायेंगी को दर्शाते हुये नोटिस के साथ प्राप्त किए गए सभी दावों और आपत्तियों की सूची तुरन्त अपने कार्यालय में चस्पा करेगा। आपत्ति की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जायेगी, जिसने यह की है।

(vi) यदि इस निमित्ति पुनरीक्षण प्राधिकारी को किए गये आवेदन पत्र पर या स्व–प्रेरणा पर, वह सन्तुष्ट हो जाता है, की प्रारूप मतदाता सूची, प्रारूप मतदाता सूची में किसी गलती के कारण, विधानसभा मतदाता सूची के सम्बन्धित भाग से भिन्न हैं, तो वह उसे उक्त मतदाता सूची के समरूप संशोधित करने के लिये उसमें सम्मिलित कोई संशोधन, विलोपन कर सकता है या उस मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकता हैं।

(vii) खण्ड (v) के अधीन नियत तिथि और जगह पर पुनरीक्षण प्राधिकारी दावे तथा आपत्तियां सुनेगा और सम्बन्धित पक्षकारों या उसके प्राधिकृत एजैंटों को सुनने के बाद उनकी गुणता के अनुसार दावों और आपत्तियों का निर्णय करेगा तथा कोई व्यक्ति दावे की दशा में, जो ऐसे दावे को स्वीकार करने के लिए ऐतराज करता है और ऐसे साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाए या उसको आवश्यक प्रतीत हो, पर विचार करने के बाद वह –

(क) कोई दावा या आपत्ति, जो इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों का पालन नहीं करती है, अस्वीकार करेगा या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे ;

(ख) कोई मामला जिसमें दावेदार या आपत्तिकर्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, खारिज करेगा।

(viii) पुनरीक्षण प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति हो, आदेश की तिथि से तीन दिन के भीतर उपायुक्त को अपील दायर कर सकता है, जो तीन दिन के भीतर या तो ऐसे आदेश की पुष्टि करेगा या अपास्त करेगा या दावे या आपत्ति के सम्बन्ध में ऐसा अन्य आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(ix) पुनरीक्षण प्राधिकारी ज्यों ही उसके सम्मुख प्रस्तुत किये गये सभी दावे तथा आपत्तियों का निपटान करता है, तो वह उन पर किये गये आदेशों सहित, ऐसे दावों और आपत्तियों की सूची, उपायुक्त को भेजेगा, जो खण्ड (viii) के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा या उस द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित आदेशों के अनुसार वार्ड वार मतदाता सूची ठीक करवाएगा। इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अन्तिम होगी तथा उसकी दो प्रतियां पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा उपायुक्त द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उनके कार्यालयों में रखी जायेगी और कथित आदेशों के अनुसार तैयार परिवर्धन तथा संशोधन की सूची सहित उप–नियम (3) के अधीन विहित रीति में प्रकाशित की जायेगी। खण्ड (ix) के अधीन सही की गई तथा प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची ऐसे अन्तिम प्रकाशन की तिथि से लागू होगीं।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 5 से 11 का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 12 में ;–

(i) उप नियम (4) में, "नियम 4 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप नियम (5) में, "नियम 5 से 11 तक" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "नियम 4" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, और ;

(iii) उप नियम (6) में, "नियम 7" और "नियम 11" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, क्रमशः "नियम 4(3)" और "नियम 4(4)(ix)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 13 का लोप कर दिया जाएगा ।

7. उक्त नियमों में, नियम–14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"14 अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नामों का शामिल, विलोपन और सुधार :– कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नही है, तो वह वार्ड वार मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने/विलोपन/**संशोधन** हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है:

परन्तु, नगर परिषद/नगर पालिका के मतदाताओं की वार्ड वार सूची में किसी नाम को जोड़ने/विलोपन या **संशोधन तभी** किया जाएगा, यदि दावेदार/आवेदक का नाम नगर परिषद/नगर पालिका के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधानसभा की निर्वाचक सूची के सम्बन्धित भाग में विद्यमान है।"

8. उक्त नियमों में, नियम 14(क) और 14 (ख) का लोप कर दिया जाएगा।

9. उक्त नियमों में, नियम 15 में, उप–नियम (1) में,–

(i) खण्ड (1)(ग) में, "नियम 9" शब्द तथा अंक के स्थान पर, "नियम 4(4)(i)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) खण्ड (घ) में, "नियम 10" शब्द तथा अंक के स्थान पर, "नियम 4(4)(vii) तथा (viii)" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) खण्ड (ज) का लोप कर दिया जाएगा ।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप क और ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"प्ररूप—क

(देखिए नियम 4 (4)(i))

मतदाता सूची में नाम शामिल करने/किसी प्रविष्टि की शुद्धि के लिए या किसी दूसरे वार्डों में नाम रखने के लिए आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगर परिषद्/नगर पालिका ....वार्ड संख्या....................

या

उपायुक्त.......................................,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0 X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगर परिषद्/नगर पालिका के लिए मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि की जाए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखा जाए।

मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के मेरे दावे के समर्थन में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

1. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ....के क्रम संख्या ....भाग नं0................. में उल्लेख किया गया है, लेकिन नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है जो अब वार्ड नं0........................... में शामिल किया जा सकता है।
2. कि मेरा नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र..के क्रम संख्या .... भाग नं0 .... में शामिल किया गया है और मेरा नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची के वार्ड संख्या .... में शामिल किया जाये।
3. कि मतदाता सूची में प्रविष्टि .... इस तरह सही किया जाए .... इस आधार पर कि ....।
4. कि मेरा नाम वार्ड नं0 .... की बजाय वार्ड नं0 .... में प्रविष्टि किया जाये।
5. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मेरा विवरण वर्णित है, जैसे .... परन्तु नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची में ....के रूप में यथा वर्णित है और इसे ....के रूप में सही करने के लिए अनुरोध है।

6. घोषणाः

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लेखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थानः

दिनांकः

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन का पूरा पता ....

....

....

मोबाईल नं0 ....

टिप्पण :– कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे (नगर परिषद्/नगर पालिका के पुनरीक्षण प्राधिकारी या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी... के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने, प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए या प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को *स्वीकार कर लिया गया है/ *नामंजूर कर दिया गया है।

*स्वीकार करने या नामंजूर करने {हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम–4 के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए **विस्तृत कारणः**

....

....

....

स्थानः तारीखः	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप क में श्री/श्रीमती/कुमारी ...., पता.. ....से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या .... में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय ....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे तथा आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनाकः– **दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान**

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना

(प्रार्थी के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी ...., जो नगर परिषद/पालिका ....का निवासी है, से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान..में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक ....को .... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

दिनाकः–

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता ....
..
..)

प्ररूप–ख

[देखिए नियम 4 (4)(i)]

मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में

पुनरीक्षण प्राधिकारी,

नगर परिषद्/नगर पालिका ....वार्ड संख्या..............

या

उपायुक्त....................................,

हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सैं0मी0 X 3.05 सैं0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

/मैं उपर्युक्त नगर परिषद्/नगर पालिका के लिए मतदाता सूची में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :

/मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:

आवेदक के ब्यौरे	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई हो)

1. कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... का नाम नगर परिषद्/नगर पालिका की मतदाता सूची के वार्ड नं0 .... की क्रम संख्या...पर अंकित है, लेकिन यह क्षेत्र जहां यह व्यक्ति रहता है वह नगर परिषद्/नगर पालिका की हद में नहीं है।
2. कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... का नाम वार्ड नं0 .... की जगह वार्ड नं0 ....में शामिल किया जाए।

3. घोषणाः

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर **उल्लिखित** तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थानः

दिनांकः

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

आवेदन का पूरा पता ....

....

....

मोबाईल नं0 ....

टिप्पणः– कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 13ग के अधीन दंडनीय होगा।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे (नगर परिषद् / नगर पालिका के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री / श्रीमती / कुमारी .... का प्ररूप ख में मतदाता सूची में श्री / श्रीमती / कुमारी.. के नाम को 'सम्मिलित किए जाने पर / 'हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन 'स्वीकार कर लिया गया है / 'नामंजूर कर दिया गया है ।

स्वीकार करने या नामंजूर करने {हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 (1973 का 24) के नियम 4 के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए विस्तृत कारण :

....

....

....

स्थानः तारीखः	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्र स्तरीय अधिकारी अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी की टिप्पणी

प्ररूप ख में श्री / श्रीमती / कुमारी ...., पता... ....से आवेदन प्राप्त किया और इन्द्राज रजिस्टर की क्रम संख्या .... में प्रविष्टि किया गया है।

सुनवाई के लिये निश्चित तिथि तथा समय ....

हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय के लिए पावती)

दावे व आपत्तियों की तिथि तथा समय बारे सूचना प्राप्त कर ली है।

दिनांक :–

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रार्थना पत्र की पावती तथा सुनवाई की तिथि से सम्बन्धित सूचना

(प्रार्थी के लिये)

श्री / श्रीमती / कुमारी ...., जो नगर परिषद् / नगर पालिका ....का निवासी है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

आवेदन में सुनवाई पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्थान..में स्थित अपने कार्यालय में दिनांक ....को .... बजे की जायेगी। उसे सुनवाई के लिये आवश्यक दस्तावेजों / जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए जाते हैं।

दिनाकः–

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
(पता ....
..
..)

11. उक्त नियमों में, प्ररूप 1क तथा 1ख में, "[देखिए नियम 9 (5)]" कोष्ठकों, शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "[देखिए नियम 4 (4)(ii))]" शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, प्ररूप–ग तथा घ का लोप कर दिया जाएगा।

आनन्द एम० शरन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 22nd May, 2017

No. 4/2/2017-R-II.— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of Sub-section (1) of Section 257 and section 276 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification No. 4/2/2017-R-II, dated 14th March, 2017, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Election Rules, 1978, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Elections (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Municipal Election Rules, 1978 (hereinafter called the said rules), for existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3. Appointment of Revising Authorities.-** The Deputy Commissioner shall appoint any Gazetted Officer to be a Revising Authority for the purpose of hearing claims and objections relating to ward wise electoral roll and may specify the ward or wards for which he shall be the Revising Authority."

3. In the said rules, for existing rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"**4. Preparation of ward wise roll.-** (1) The Deputy Commissioner under the superintendence, direction and control of the State Election Commission, shall cause to distribute the electors of Legislative Assembly constituency or a part thereof of the existing electoral roll prepared by Election Commission of India under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (Central Act 43 of 1950), for the time being in force, which falls in the relevant ward of the Municipal Council/Committee, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name by the Election Commission of India.

(2) The electoral roll updated by the Election Commission of India up to the date of notification issued by the State Election Commission for the preparation of ward wise roll as per sub rule (1) above, shall be taken into account. The electors of Legislative Assembly constituency, so distributed ward wise shall be the electoral roll for that ward of the Municipal Council/Committee which shall be prepared in Hindi and in such other language or languages and in such form, as the State Election Commission may direct.

(3) As soon as the ward wise roll of a Municipal Council/Committee is ready, the Deputy Commissioner shall publish it as draft together with a notice intimating the date by which objections or claims with regard to the ward wise roll may be presented to the Revising Authority specified therein. A copy of the ward wise roll of each ward of Municipal Council/Committee alongwith the notice shall be pasted at the office of the Deputy Commissioner, at the office of the Municipal Council/Committee and at such other conspicuous place(s) as the Deputy Commissioner may determine:

Provided that a period of not less than five days shall be allowed for filing claims and objections.

(4) (i) Every claim and objection regarding distribution of electors ward wise shall be addressed and presented to the Revising Authority in the prescribed Form A and B or may be sent by registered post to him.

Provided that claims in Form-A shall be filed by those applicants, who intend to include their name, make correction in their entry or transposing of their name in another ward in the

electoral roll. Objections in Form-B shall be filed by those applicants who intend to object inclusion of name or seek deletion of a name from the electoral roll.

Provided further that only those persons shall file their claim for inclusion of their name in the electoral roll of Municipal Council/Committee, whose name appear in the respective electoral roll of legislative assembly, but do not appear in the draft electoral rolls published under sub-rule (3) of this rule.

(ii) The Revising Authority shall maintain a register of claims in Form 1-A and register of objections in Form 1-B, entering therein the particulars of every claim or objection, as the case may be, as and when it is received.

(iii) Any claim or objection under clause (i) which is not lodged within the prescribed period, or in the form, or, if lodged, by a person not entitled to lodge the same, shall be rejected.

(iv) If any claim or objection is presented by a person to the Revising Authority which is not authorized to receive it, such Revising Authority shall at once return it to the person presenting it for presentation to the appropriate Revising Authority.

(v) Where a claim or objection is not disposed of under clauses (iii) or (iv) and the period prescribed for the presentation of claims and objections, has expired, the Revising Authority shall forthwith post at his office a list of all claims and objections received together with notice showing the date on which and the place at which such claims and objections shall be heard. One copy of the objection shall be served upon the person regarding whom it is made.

(vi) If on an application made to the Revising Authority in this behalf or on his own motion, he is satisfied that the draft electoral roll is at variance with the relevant part of the electoral roll of the Assembly on account of any mistake in the draft rolls, he shall amend the list so as to bring it in conformity with the said electoral roll and for that purpose he may amend, delete or add an entry in that roll.

(vii) On the date and at the place fixed under sub clause (v), the Revising Authority shall hear and decide the claims and objections according to their merits after hearing the parties concerned or their authorized agents and, in the case of a claim any person who objects to the admission of such a claim and after considering such evidence as may be produced or may appear necessary to him, he shall-

(a) reject any claim or objection which does not comply with any of the provisions of these rules or pass such orders, as he may deem fit;

(b) dismiss any case in which the claimant or objector is not present or is not represented.

(viii) Any person aggrieved by any such order of the Revising Authority, may file appeal within three days from the date of order to the Deputy Commissioner, who shall within three days either confirm such order, or set it aside or pass such other order with respect to the claim or objection as he may deem fit.

(ix) As soon as the Revising Authority has disposed of all the claims and objections presented before him, he shall forward a list of such claims and objections alongwith his orders thereon to the Deputy Commissioner who shall cause the ward wise roll to be corrected, in accordance with the orders passed by the Revising Authority or by him in appeal under clause (viii) of sub rule (4), as the case may be. The rolls so amended shall be final and two copies thereof duly signed by

the Deputy Commissioner and Revising Authority shall be kept in their offices and shall be published in the manner prescribed under sub rule (3) together with list of additions and corrections prepared in accordance with the said orders. Any ward wise roll corrected and published under the provisions of clause (ix) shall come into force from the date of such publication.".

4. In the said rules, rules 5 to 11 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 12;--

(i) in sub-rule (4), for the words and figures "rules 4 to 11", the word and figure "rule 4" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (5), for the words and figures "rules 5 to 11", the word and figure "rule 4" shall be substituted; and

(iii) in sub-rule (6), for the words and figures "rule 7" and "rule 11", the words, figures and bracket "rule 4 (3)" and "rule 4 (4) (ix)" shall be substituted.

6. In the said rules, the existing rule 13 shall be omitted.

7. In the said rules, for existing rule 14, the following rule shall be substituted namely:-

"**14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise electoral roll finally published.-** Any person whose name is not included in the ward wise electoral roll finally published may apply to the Deputy Commissioner for addition/deletion/ correction of his name in the ward wise electoral roll.

Provided that the addition/deletion or correction of any name in the ward wise electoral roll of a Municipal Council/Committee shall only be made, if the name of claimant/applicant exists in the relevant part of assembly electoral roll till the first day of filing nomination papers for the elections of Municipal Council/Committee.".

8. In the said rules, rule 14 A and 14 B shall be omitted.

9. In the said rules, in rule 15, in sub-rule (1),-

(i) in clause (c), for the word and figure "rule 9", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (i)" shall be substituted;

(ii) in clause (d), for word and figure "rule 10", the word, figure, sign and bracket "rule 4 (4) (vii) and (viii)" shall be substituted; and

(iii) clause (h) shall be omitted.

10. In the said rules, for the existing Forms A and B, the following forms shall be substituted, namely:-

"Form-A

[See rule 4]

Application for inclusion of name, correction of any entry or transposing of name in another ward in the electoral roll

To

The Revising Authority,
Municipal Council/Committee__________Ward No.______
or
Deputy Commissioner__________,

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING

I request that my name be included, corrected or transposed in the electoral roll for the above Municipal Council/Committee. My particulars in support of my claim for Inclusion, correction or transposing in the electoral rolls are given below:

Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's Mother's Name Husband's	Name	Surname (if any)

1. That my name is mentioned at Sr. No.______, Part No.______ of________________ Legislative Assembly Constituency but has not been included in the electoral rolls of Municipal Council/Committee which may now be included in the ward No.__________

2. That my name has been included at Sr. No.______Part No.______of ____________________ Legislative Assembly Constituency and include my name in the electoral roll of ward No.__________ of Municipal Council/Committee.

3. That the entry in electoral roll______________________be corrected as____________________ on the ground that ______________________.

4. That my name be entered in ward No.__________ instead of ward No. _________.

5. Entry of my particular in the electoral roll of Legislative Assembly Constituency are mentioned as ______________but in the electoral roll of Municipal Council/Committee have been mentioned as____________________________ and request to correct as____________________________

6. Declaration

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date : Signature or thumb impression of the claimant

Complete Address of the applicant____________________________

____

____

Mobile No.____________________________

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken
(To be filled by Revising Authority of Municipal Council/Committee or the Deputy Commissioner as the case may be)

The application of Shri/Smt./Km.________________________________ for inclusion of name/correction of any entry or transposing of any name in another ward in the electoral roll in Form-A has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 4 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978

____

____

____

Place: Date:	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer e.g. Booth Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer

Received an application in Form A from Sh./Smt./Kumari_____________________________

Address____

__________________________________ and entered at sr. no. _________of the entry register.

Date and time fixed for hearing_______________

Sign and Designation

(Receipt for office use)

Obtained the information about the date and time fixed for the hearing of claim/objection.

Dated: Signature and thumb impression of the applicant

Receipt of application and information about the date of hearing

(for applicant)

An application has been received in Form A from Sh./Smt./Kumari_______________________ who is resident of Municipal Council/Committee ______________________________________

The hearing in the applicant will be done by the Revising Authority at his office situated at______________________ on ______________at _________. He/She is directed to appear for hearing alongwith necessary documents/information.

Date:______________

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Revising Authority

(Address_________________________________)

Form-B

[See rule 4]

Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in electoral roll

To

The Revising Authority

Municipal Council/Committee____________Ward No._____

Or

Deputy Commissioner___________,

SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN

Sir,

I object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the electoral roll for the above Municipal Council/Committee. Particulars in support of my objection are given below:

I submit that the entry relating to myself/the person named below is required to be delete for the reasons stated hereunder:

Applicant's details	Name	Surname (if any)
*Father's/ Mother's Name/ Husband's	Name	Surname (if any)

1. That the name of Sh./Smt./Miss____________________is mentioned at Sr.No._____of Ward No._____in the electoral rolls of Municipal Council/Committee, but the area in which the said person is residing does not fall in the limit of the Municipal Council/Committee.

2. That the name of Sh./Smt./Miss ____________________ is included in ward No._____ instead of ward No._____.

3. Declaration

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place :

Date :

Signature or thumb impression of the claimant

Complete Address of the applicant____________________

____

____

Mobile No.____________________

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 13C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973).

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken

(To be filled by Revising Authority of Municipal Council/Committee)

The application of Shri/Smt./Km.____________________ objecting to inclusion/ seeking deletion of name of Shri/Smt./Km.____________________ in the electoral roll in Form-B has been accepted/rejected.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 4 of the Haryana Municipal Election Rules, 1978:

____

____

____

Place: **Date:**	**Signature of Revising Authority**	**(Seal of the Revising Authority)**

During continuous updating after final publication of electoral roll.

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer e.g. BLO, Designated Officer, Supervisory Officer

Received an application in Form B from Sh./Smt./Kumari____________________________

Address____

___________________________________ and entered at Sr. no. _________of the entry register.

Date and time fixed for hearing________________

Sign and Designation

(Receipt for office use)

Obtained the information about the date and time fixed for the hearing of claim/objection.

Dated: Signature and thumb impression of the applicant

Receipt of application and information about the date of hearing

(for applicant)

An application has been received in Form B from Sh./Smt./Kumari________________________ who is resident of Municipal Council/Committee ______________________________________

The hearing in the applicant will be done by the Revising Authority at his office situated at______________________ on ______________at __________. He/She is directed to appear for hearing alongwith necessary documents/information.

Date:________________

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Revising Authority

(Address____)

11. In the said rules, in Forms 1-A and 1-B, for the words, figures and signs "[see rules 9(5)]", the words, figures and signs "[see rule 4(4) (ii)]" shall be substituted.

12. In the said rules, the Form "C and Form D" shall be omitted.

ANAND M. SHARAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Deapartment.

55318—C.S.—H.G.P., Chd.